© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 03 | January – March 2018

महिलाओं के उत्थान में डॉ. अम्बेडकर का योगदान

Manoj Kumar, Research Scholar,

Dept. of Journalism & Mass Comm.
Maharshi Dayanand University, Rohtak

ISSN : 2348-5612 © URR

भूमिका : आधुनिक भारत में नारी की स्थिति में सुधार के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के प्रयास सीमित भले हो, किंतु वे मूलभूत और महत्वपूर्ण हैं । उनके सुझाव को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं । पहला सैद्धांतिक है जबकि दूसरा व्यवहारिक व क्रियात्मक। सर्वप्रथम डॉ. अम्बेडकर ने उन कारणों का पता लगाने का प्रयास जिनकी वजह से समाज में नारी की स्थिति अवनत हुई । कारणों को जानने के बाद उन्होंने उनको दूर करने के लिए पहल की, जिससे कि समाज में नारी की स्थिति में सुधार लाया जा सके ।

समाज प्रगति नारी पर निर्भर :

डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि समाज की प्रगति नारी की प्रगति पर निर्भर करती है। उनका कहना था कि मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार पर मानता हूं कि उसमें नारी ने किस सीमा तक प्रगति की है। अपनी स्थापना की पुष्टि में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का उपयोग किया और दर्शाया कि भारत में जिस काल में नारी की स्थिति अच्छी थी, समाज प्रगति पर था और जब नारी की स्थिति अवनत हुई तो समाज भी पतन को प्राप्त हुआ ।

वैदिक काल में नारी की स्थिति अच्छी थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी और आत्मविश्वास के अवसर प्राप्त थे । उनके ऊपर सामाजिक निर्योग्यतायें और प्रतिबन्ध नहीं थोपे गए थे । प्राचीनकाल में स्त्रियों का विवाह सामान्यता व्यस्कता प्राप्ति के पश्चात् होता था । उन्हें तलाक का अधिकार प्राप्त था। तलाकशुदा अथवा विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर सकती थी। कौटिल्य ने अपनी पत्नी को अपने भरण–पोषण के लिए पति की सम्पत्ति में अधिकार दिया गया ।अतः स्पष्ट है कि भारत में प्राचीनकाल में जहां नारी की स्थिति अच्छी थी समाज प्रगति के पथ पर था।

भारत में नारी का पतन स्मृति काल विशेष रूप से मनु के उद्भव के उपरान्त होता है । मनु ने नारी विरोधी कानून बनाये । उन्होंने स्त्री को उपनयन व शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से वंचित किया । मनु ने स्त्रियों को निम्न स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने के अयोग्य और अविश्वासी निरूपित किया । मनु का कहना था कि नारी को पुरूष के अधीन रखा जाना चाहिए । यदि उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये तो वह पुरूष के अनिष्ट का कारण बन सकती है । मनु ने स्त्रियों के लिए अल्पायु में विवाह का विधान बताया । उनका कहना था कि जो पिता अपनी पुत्री का विवाह उसके रजस्वला होने के पूर्व नहीं करता है वह पाप का भागी होता है । इस नियम के कारण जीवनसाथी के चुनाव में स्त्री की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई ।

जहां तक तलाक और पुनर्विवाह का प्रश्न है, मनु का विधान एकतरफा है । वह पति को तो पत्नी के परित्याग तथा स्त्री से पुनर्विवाह की स्वतन्त्रता प्रदान करता है किंतु पत्नी को नहीं । मनु का कहना है कि पति यदि पत्नी को त्याग दे, दूसरे को बेच दे तो भी वह उससे मुक्त नहीं होती । पति यदि गुण विहीन है अथवा दरिद्र है तो भी पत्नी को उसकी पूजा करनी चाहिए । पत्नी को पति की आज्ञाकारिणी होना चाहिए और यदि मर जाए तो स्मरण में भी उसका अपमान नहीं होना चाहिए ।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार मनु द्वारा नारी विरोधी कानून बनाने के दो कारण थे । एक तो मनु समाज में से बौद्ध धर्म को मिटाना चाहता था । नारी एवं शूद्र समाज के दो ऐसे वर्ग थे जो ब्राह्मणवाद से पीड़ित होने के कारण बौद्ध धर्म की ओर सरलता से आकृष्ट हुए थे । मनु ने इन वर्णों को शिक्षा व आत्मविश्वास के अवसरों से वंचित किया जिससे कि ब्राह्मण श्रेष्ठता पर आधारित व्यवस्था को इन वर्णों की

ओर से चुनौती उपस्थित न हो सके । दूसरा कारण ब्राह्मणवाद समाज में विभिन्न वर्णों के बीच ऊँच–नीच की श्रेणी में विभाजन की स्थापना करता है । यह विभाजन समाज में तभी कायम रह सकता है जबकि वर्णो के बीच शादी–विवाह को निषिद्ध किया जाये । नारी की स्वतन्त्रता प्रदान करने में यह सम्भव नहीं था। अंतर्राजातीय विवाह के नियम को कठोरतापूर्वक लागू करने की दृष्टि से ही मनु ने नारी की स्वतन्त्रता का अपहरण किया जाना आवश्यक समझा ।

समाज में सदियों से पीड़ित व शोषित दलित एवं कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना डॉ. अम्बेडकर के जीवन का प्रमुख लक्ष्य था । दलितों के बाद समाज में सर्वाधिक पीड़ित नारी थी । इसलिए स्वतन्त्रता संविधान की रचना का अवसर डा. अम्बेडकर को मिला तो उन्होंने इन वर्गों की रक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया । संविधान के माध्यम से सर्वप्रथम उन्होंने उन भारतीय निर्योग्यताओं को दूर किया क्योंकि उनके चलते इन वर्गों के लोगों के विकास की कोई गुंजाइश नहीं थी । इसके बाद आवश्यक सुधार मुहैया कार्य कराये जिससे कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक अन्यों के समक्ष बराबर में खड़ी हो सकें ।

सदियों सेउत्पीड़न की व्यथा झेलकर नारी इस स्थिति पर पहुंची है कि वह देवी के रूप में नहीं एक मानव की तरह जीना चाहती है और मानव की तरह जीने के अधिकार उसे डा. अम्बेडकर ने संविधान में दिये हैं ।

संविधान द्वारा दिये गए अधिकारों से नारी की स्थितिमें सुधार अवश्य हुआ किंतु सामाजिक प्रगति में वह सार्थक भूमिका निभाने में समर्थ हो इसके लिये उसकी कतिपय सामाजिक, आर्थिक निर्योग्यताओं को दूर किया जाना आवश्यक कानून मंत्री की स्थिति का लाभ उठाते हुए डा. अम्बेडकर ने इस कमी को दूर करने का निर्णय लिया । उन्होंने हिन्दू कोड बिल की रचना की ।

डा. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल में निम्नलिखित बातें शामिल कीः–

1. नारी के अल्पायु में विवाह पर प्रतिबन्ध तथा जीवन साथी के चुनाव एवं अंतर्जातीय विवाह का अधिकार ।
2. जन्म के आधार पर अधिकारों के सिद्धान्त की समाप्ति ।
3. पिता की सम्पत्ति में पुत्री का समान अधिकार ।
4. तलाक के मामले में महिलाओं को समान अधिकार ।

इन अधिकारों की प्राप्ति के सज्ञथ जहां हिन्दू नारी की उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधायें दूर हो जाती, वहीं समता पर आधारित प्रगतिशील समाज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त होता ।

हिन्दू कोड बिल को लेकर संसद में और संसद के बाहर तीव्र प्रतिक्रिया हुई लोगों ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी । कुछ लोगों ने हिन्दू कोड बिल को गर्मजोशी से स्वागत किया । कुछ लोगों द्वारा डा. अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया । दूसरी ओर ऐसे लोग थे जिन्होंने यह कहकर उसका विरोध किया कि वह जल्दबाजी में उठाया गया कदम तथा निजी जीवन में अवांछित हस्तक्षेप है ।

हिन्दू कोड बिल के पीछे डा. अम्बेडकर का जहां तात्कालिक उद्देश्य नारी की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था वहीं उनका दूरगामी लक्ष्य समता पर आधारित समाज की स्थापना के लिए आवश्यक वैज्ञानिक पृष्ठभूमि का निर्माण करना भी था । यह ठीक है कि भारतीय संस्कृति अपना अस्तित्व बनाये रखने में कामयाब रही किंतु उसने अपना अस्तित्व विजेता के रूप में नहीं पराजिता के रूप में बचाकर रखा है ।

डा. अम्बेडकर का मानना था कि यदि नारी की समझ में आ जाये और यदि वह निश्चय कर ले तो समाज की बुराइयों को दूर करने और समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है ।

संदर्भ सूची :

1. आर.जी. सिंह, डा. बी.आर. अम्बेडकर के सामाजिक विचार, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1991

2. डा. भारती, गांधी और अम्बेडकर का योगदान दलित एवं महिलाओं के उत्थान में, गौतम बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2009
3. दुर्गादास बसु, भारत का संविधान : एक परिचय, वाधवा एवं कंपनी, नागपुर, 2001
4. सुभाष कश्यप, हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली, 1995
5. आर.जी. सिंह, सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष, राजस्थान हिन्दी गद्य अकादमी, जयपुर, 1994
6. डा. विष्णु भगवान और वन्दना मोहला, भारतीय राजनीतिक विचारक, आत्मा राम एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2006